भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2793
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2020

वाई-फाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस परियोजना

2793. श्रीमती सुमलता अम्बरीशः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वाई-फाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस (डब्ल्यूएएनआई) के अंतर्गत निःशुल्क वाई-फाई सेवाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों से कोई आपत्ति प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दूरसंचार कंपनियों द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर इस परियोजना के संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 9 मार्च 2017 को ''सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड का प्रसार'' विषय पर स्वयं अपनी ओर से सिफारिशें जारी की है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक डाटा कार्यालयों (पीडीओ) की स्थापना करने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इस फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक डाटा कार्यालय एग्रीगेटरों (पीडीओए) के अनुरूप पीडीओ की संकल्पना की गई है ताकि वाई-फाई के जरिए किसी विशेष प्रशुल्क पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जा सके।

ट्राई ने वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (वाणी) आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क की संकल्पना के साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए अक्तूबर 2017 से जनवरी 2018 तक प्रायोगिक परियोजना चलाई थी। इस प्रायोगिक परियोजना के पूरा होने पर ट्राई ने 05 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट जारी की थी।

(ग) और (घ) सेल्युलर आपरेटर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तथा अन्य पणधारियों ने 'सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड का प्रसार' विषय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के संबंध में दूरसंचार विभाग को कुछ अभ्यावेदन दिए हैं। इन अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ केवल लाइसेंस के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान किए जाने, एक समान अवसर (लेवेल प्लेइंग फील्ड), प्रतिभूति तथा राजकोष पर कथित राजस्व हानि शामिल हैं।

वाणी आधारित आर्किटेक्चर एवं सीओएआई से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित यह मामला विभाग में विचाराधीन है।

******